

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 245/17

संस्थापन दिनांक:-17/04/17

फाईलिंग नं. 221/2017

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

राकेश पिता युवराज अतुलकर
उम्र 30 वर्ष, निवासी बस स्टेंड के पास आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.06.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08.04.2017 को दोपहर करीब 12:00 बजे स्थाना थाना आमला से 1 किमी. पश्चिम में बस स्टेंड आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे का बका जिसकी कुल लंबाई 17 इंच, फल की लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 5 इंच, चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.04.2017 को सहायक उप निरीक्षक एस.एस. पटेल को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में अभियुक्त गंदी गंदी गालियां देकर मरने मारने पर आमदा हो रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त गंदी गंदी गालियां बकते हुए हाथ में लोहे का धारदार बका तलवारनुमा लिये मिला। अभियुक्त द्वारा धारदार बंका तलवारनुमा रखने के संबंध में वैध दस्तावेज न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे का धारदार तलवारनुमा बंका जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 196/17 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2017 को दोपहर करीब 12:00 बजे स्थाना थाना आमला से 1 किमी. पश्चिम में बस स्टैंड आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे का बंका जिसकी कुल लंबाई 17 इंच, फल की लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 5 इंच, चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 08.04.2017 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ बस स्टैंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार तलवारनुमा बंका लिये मिला। जिस पर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त द्वारा बंका रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार बंका जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 196/17 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 को वही लोहे का बंका होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 गजानन चौकीकर (अ.सा.-1) एवं महेंद्र उर्फ बाला (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी गजानन चौकीकर (अ.सा.-1) एवं महेंद्र उर्फ बाला (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर एस.एस. पटेल

(अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर बस स्टैंट मौके पर जाना। अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना, अभियुक्त से लोहे का धारदार बंका जप्त करना, उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि प्रकरण में रवानगी सान्हा संलग्न नहीं है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मौका स्थल बस स्टैंड के चारो तरफ दुकानें बनी हुई हैं। मौके पर 7-8 लोग उपस्थित थे। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती प्रपत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी थी। साथ ही इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा आयुध धारदार था अथवा नहीं। साथ ही जप्ती पत्रक पर नमूना सील भी नहीं लगायी गयी है।

9 विवेचक साक्षी एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी इस बात का उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण उनके कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकरण में रवानगी रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध को जप्त कर मौके पर सीलबंद किया गया हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.04.2017 को दोपहर करीब 12:00 बजे स्थाना थाना आमला से 1 किमी. पश्चिम में बस स्टैंड आमला में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे का बंका जिसकी कुल लंबाई 17 इंच, फल की लंबाई 12 इंच, मूठ की लंबाई 5 इंच, चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राकेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का बंका अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का

निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)